न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 218/2008
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2008/00049

वादी

भोपाराम पुत्र वागाराम
जाति रबारी
निवासी जानियाना
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

1.मोहनदास पुत्र गोपालदास
जाति संत निवासी जानियाना
हाल सामदड़ी रोड़ बालोतरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा
3.उप तहसीलदार जसोल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादी
2. श्री देवीसिंह महेचा,अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01
3. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 11.07.2025

1. संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की खेत पुराने खसरा संख्या 326/2 जिसके नए खेत खसरा संख्या 460/326 रकबा 16.18 बीघा भूमि वादी की खातेदारी में अवस्थित हैं। वादी के खातेदारी भूमि के बदिशा दक्षिण की तरफ प्रतिवादी संख्या 01 के खेत के बीच में वादी की हद भूमि में चीणे एवं तारबंदी की हुई है,जिस पर वादी का कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। वादी की खातेदारी भूमि की राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा आए दिन सीमाओं को लेकर वाद–विवाद करता रहता है तथा वादी की खातेदारी भूमि में दंखलदान्जी करता रहता हैं। इस कारण वादी की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की मौका कब्जा स्थिति अनुसार तरमीम करने का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 02 को पेश

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर अपने अधीनस्थ राजस्व–कर्मी से मौका जांच करवाई गई। जिस पर हल्का पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 एवं अन्य गांव के मौजिज लोगो की मौजूदगी में दिनांक 10.11.2006 को मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की गई। प्रतिवादी संख्या 02 को मौका–रिपोर्ट दिनांक 10.11.2006 के अनुरूप ही नक्शा में तरमीम की जानी चाहिए थी, लेकिन उनको निवेदन किए जाने पर भी तरमीम नहीं की गई। इसी दौराने प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 10.06.2008 को वादी की खातेदारी भूमि में दखलदांजी करने की नियत से वादी की हदबंदी में लगी तारबंदी व चीणे को तोड़ दिया गया। जिस पर वादी के पुत्र कालुराम ने दिनांक 11.06.2008 को पुलिस थाना बालोतरा में रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर पुलिस थाना बालोतरा के अधिकारियों द्वारा मौका देखा गया,बाद जांच वादी की खातेदारी भूमि में चीणों एवं तारबंदी को तोड़ा जाना पाए जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 447,427 I.P.C के तहत आरोप पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा राजस्व कर्मीयों से मिलीभगत करते हुए प्रतिवादी संख्या 02 से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसकी हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा वादी को सूचित किए बिना एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रतिवादी संख्या 02 को पेश की गई। उक्त मौका–रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा राजस्व रेकर्ड में तरमीम किए जाने के आदेश पारित किए गए,जो वादी के हितो के विपरीत है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेघाज्ञा से पांबद किया जावे कि वादी की खातेदारी खेत बदिशा उतर की तरफ आये हुए ग्राम जानियाना की खसरा संख्या 460/326 रकबा 16.18 बीघा भूमि में दखलदांजी नहीं करे तथा न हीं हदबंदी की लगी हुई तारबंदी एवं चीणों को हटाने अथवा तोड़–फोड़ ही करे तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि मूल खसरा संख्या 326 से संबधित तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 13.10.2008 को दिए गए आदेश की पालना में राजस्व लट्ठा ट्रेस नक्शा में तरमीम नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के विरूद्ध आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी की जावे,कि विवादित आराजी की मौका–जांच रिपोर्ट दिनांक 10.11.2006 के आधार पर वे राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाने हेतु वाद–पत्र पेश किया गया है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए,जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम चौधरी द्वारा वकालातनामा मय जवाबदावा पेश कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 की

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

ओर से अधिवक्ता श्री देवीसिंह महेचा द्वारा पैरोकारी करने हेतु वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं कीए जाने पर जवाब बंद किया गया। वक्त बहस प्रतिवादी संख्या 02 व 03 अनुपस्थित रहे।

3. प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जरिए अधिवक्ता वादी के वाद–पत्र तथ्यों को अस्वीकार करतें हुए जवाबदावा पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से मनगढन्त व झुठे तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है,क्योंकि वादी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 460/326 के बदिशा दक्षिण की तरफ प्रतिवादी संख्या 01 को खेत नहीं होकर बल्कि पश्चिम दिशा में प्रतिवादी संख्या 01 का खेत खसरा संख्या 461/326 अवस्थित हैं। वादी व प्रतिवादी के खेत के बीच में चीणे व तारबंदी नहीं की गई है तथा न ही मौके पर वादी का कब्जा–काश्त हैं। वादी की ओर से विवादित आराजी की तरमीम किए जाने का कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया,बल्कि प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से दिनांक 14.07.2006 के प्रार्थना–पत्र पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारीयों को जांच दी गई। तत्कालीन हल्का पटवारी व भू. अभिलेख निरीक्षक ने प्रतिवादी को सूचित किए बिना एकपक्षीय मौका रिपोर्ट वादी से मिलावट करते हुए तैयार की गई,जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 के फर्जी हस्ताक्षर कर रिपोर्ट दिनांक 10.11.2006 को तैयार की गई। जिस पर प्रतिवादी को पता चलने पर प्रतिवादी संख्या 02 के समक्ष एतराज करने पर तरमीम नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वादी की हदबंन्दी में चीणे व तारबंदी नहीं तोड़नें के बावजूद वादी भोपाराम व उसका पुत्र कालूराम द्वारा दिनांक 10.06.2008 को झूठा मुकदमा दर्ज करवा गया तथा वादी द्वारा पुलिस से मिलीभगत करते हुए पुलिस से गलत रिपोर्ट तैयार करवाए गई तथा बाद अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध झूठा चालान पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा मौका एवं रेकर्ड के आधार पर जांच करवाई गई। जांच अधिकारी द्वारा वादी व प्रतिवादी एवं गांव के मौजिज लोगो की उपस्थिति में दिनांक 26.06.2008 को मौका मुआयना करते हुए रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 29.09.2008 को प्रतिवादी संख्या 02 को पेश की गई और प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा उक्त रिपोर्ट को सही मानते हुए तरमीम कीए जाने के आदेश दिए गए,जो कि विधि सम्मत् आदेश दिए गए थे,जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुए हैं। अतः वादी का वाद गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

4. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवादयक विरचित किए गए:–चूंकि प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश कर रखा है तथा अपनी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

ओर से साक्ष्य गवाहान भी करवाए गए है,लेकिन तत्समय प्रतिवादी पक्ष की तनकीयात कायम नही की गई थी,जो आवश्यक होने के कारण प्रतिवादी पक्ष की ओर से तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या 1–आया वादी वाद–पत्र के पद संख्या 13(1) अनुसार प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री जारी करवाने के अधिकारीगण हैं ?

(जिम्मे–वादी)

तनकी संख्या 2.आया वादी वाद–पत्र के पद संख्या 13(2) अनुसार विवादित भूमि में 13.10.2008 स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के खिलाफ जारी करवाने का अधिकारी हैं ?

(जिम्मे–वादी)

तनकी संख्या 3.आया वादी वाद–पत्र के पद संख्या 13(3) अनुसार प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हैं ?

(जिम्मे–वादी)

तनकी संख्या 4. आया वादी वाद–पत्र के पद संख्या 13(4) अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के खिलाफ डिक्री जारी करवाने का अधिकारी हैं ?

(जिम्मे–वादी)

तनकी संख्या 05. अन्य दादरसीः ?

तनकी संख्या 06–आया वादगस्त भूमि की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.11.2006 के अनुरूप तरमीम नहीं की जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 29.09.2008 के अनुरूप तरमीम करवाने के हकदार है तथा वादी का वाद गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण वाद खारिज करवाने का प्रतिवादी हकदार हैं।

जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 01)

5. वादी की ओर से वाद–पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य में PW.01 भोपाराम, PW.02 मोडाराम, PW.03 कालुराम के बयानात कलमबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01–ग्राम जानियाना की खसरा संख्या 403/240, 460/326 जमाबंदी, प्रदर्श 02–ग्राम जानियाना की खसरा संख्या 461/326 जमाबंदी, प्रदर्श 03–ग्राम जानियाना का नक्शा ट्रेस प्रति, प्रदर्श 04–भू अभिलेख निरीक्षक पचपदरा द्वारा निरीक्षक रिपोर्ट दिनांक 10.11.2006 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 05–फर्द मौका दिनांक 10.11.2006 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 06–कालुराम द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा को परिवाद की प्रमाणित

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रति, प्रदर्श 07–प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 337/11.06.2008 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 08–फर्द नक्शा मौका 11.06.2008 जो A.S.I. पुलिस थाना बालोतरा की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 09–बयान श्री कालुराम की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 10–बयान श्री पोकरराम दिनांक 14.06.2008 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 11–बयान श्री मोड़ाराम दिनांक 14.06.2008 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 12–बयान श्री उकाराम दिनांक 14.06.2008 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 13–चार्ज शीट मुकदमा संख्या 337/11.06.2008 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 14– आर्डरशीट दिनांक 19.06.2008 माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा, प्रदर्श 15–भू–अभिलेख निरीक्षक पचपदरा की रिपोर्ट दिनांक 27.06.2008, प्रदर्श 16–फर्द मौका दिनांक 26.06.2008 प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 17–उप तहसीलदार जसोल की जांच रिपोर्ट पत्रांक 380/29.09.2008 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 18–तहसीलदार पचपदरा के पत्रांक 3405/13.10.2008 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 19–माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर–जैसलमेर) मु. जोधपुर के अपील संख्या 21/2011 आदेश दिनांक 20.04.2011 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 20–फौजदारी प्रकरण परिवादी मोहनदास प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 21 प्रथम सूचना रिपोर्ट 07/20.01.2011 की प्रति व प्रदर्श 22–अन्तिम रिपोर्ट पुलिस थाना पचपदरा 07/20.01.2011 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

6. प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में DW.01 मोहनदास, DW.02 देवीदास,DW.03 राधेश्याम द्वारा लिखित बयानात् शपथ पत्र पेश किए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श A1–बेचाननामा भोपाराम वादी के हक का, प्रदर्श A2–फर्द मौका मय नक्शा दिनांक 26.06.2008, प्रदर्श A3–नामान्तकरण संख्या 43 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श A4– मौका रिपोर्ट दिनांक 27.06. 2008,प्रदर्श A5–नामान्तकरण संख्या 44 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श A6– राजस्व नक्शा दिनांक 04.12.2010, प्रदर्श A7 प्रतिवादी द्वारा वादगस्त भूमि खरीद करने की रजिस्ट्री प्रति, प्रदर्श A8 –प्रतिवादी की जमाबंदी सवंत् 2066 प्रति, प्रदर्श A9 –लटठा ट्रेस नक्शा, प्रदर्श A10 –जमाबंदी खतौनी सवंत 2064, प्रदर्श A 11 –प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07/20.01.2011, प्रदर्श A12 न्यायालय के आदेशिका दिनांक 30.04.2018 से 06.05.2024 मुकदमा संख्या 133/2018 सरकार बनाम भोपाराम व प्रदर्श A13 –सी.आर. संख्या 365/20.06.2008 का नक्शा मौका की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

7. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। वक्त बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी की खातेदारी खेत खसरा संख्या 460/326 रकबा 16.18 बीघा भूमि ग्राम जानियाना में अवस्थित हैं। जिस पर वादी का कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। वादी की खातेदारी भूमि की बदिशा दक्षिण की

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तरफ प्रतिवादी संख्या 01 का खेत खसरा संख्या 461/326 रकबा 16.18 बीघा भूमि अवस्थित हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के खेत के बीच में वादी के हद में वादी की ओर से चीणे एवं तारबंदी की हुई है,जिस पर वादी का कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। वादगस्त भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 आए दिन वादी की हदबंदी भूमि में दखलदांजी करने का प्रयास करता रहता हैं। इस कारण वादी की ओर से तहसीलदार पचपदरा को मौका स्थिति अनुरूप तरमीम किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कीया गया,तहसीलदार पचपदरा ने इसकी जांच अपने अधीनस्थ कर्मचारीयों को दी गई। जिसकी पालना में हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.11.2006 को वादी व प्रतिवादी संख्या 01 एवं अन्य गावं के मौजिज लोगो की उपस्थिति में मौका देखकर मौका रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा को पेश की गई,लेकिन तहसीलदार पचपदरा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2006 के अनुसार वादग्रस्त भूमि की तरमीम करने के आदेश नहीं दिए गए। प्रतिवादी संख्या 01 झगडालू प्रवृति का व्यक्ति हैं। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी की हदबंदी की लगी हुए चीणे एवं तारबंदी को तोड़ा दिए जाने पर वादी के पुत्र कालूराम द्वारा दिनांक 11.06.2008 को पुलिस थाना बालोतरा में रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा जांच करते हुए प्रतिवादी का अपराध माना तथा वादी का कब्जा उतर दिशा होना माना जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश कीया गया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी की कब्जा–काश्त भूमि की हद में की गई चीणे एवं तारबंदी तोड़ते हुए वादी की भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कीया तथा प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र पेश कीया गया,जिस पर दुबारा जांच एकपक्षीय एवं वादी को सूचित किए बिना की जाकर मौका स्थिति के विपरीत रिपोर्ट तैयार दिनांक 29.09.2008 को तहसीलदार पचपदरा को पेश की गई। जिस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा वादी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उक्त रिपोर्ट के आधार पर तरमीम किए जाने के आदेश दिए गए, जो की वादी के हितो के विपरीत आदेश दिया गया। जिससे वादी आहत होकर हस्तगत प्रकरण पेश किया तथा साथ ही आवेदन अन्तर्गत धारा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया,जिस पर श्री न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने में आदेश पारित किए गए। जिसका जमाबंदी में स्थगन नोट दर्ज किया गया। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2006, अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना बालोतरा की जांच एव नायब तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट में भी स्पष्ट आया है की वादी का कब्जा–काश्त भूमि बदिशा उत्तर में हैं तथा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रतिवादी संख्या 01 की भूमि बदिशा दक्षिण में अवस्थित हैं। उक्त तथ्यों की ताईद वादी पक्ष की ओर से करवाए गए गवाहान् बयानात् एवं दस्तावेजात से भी होता हैं। साथ ही स्थगन आदेश होने के उपरांत भी प्रतिवादी संख्या 01 ने राजस्व–कर्मचारियों से मिली भगत करते हुए लटठा नक्शा में दिनांक 30.12.2020 को गलत तरमीम करवा दी गई। जिसका प्रतिवादी पक्ष को अवैध तरमीम किए जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। उक्त अवैध तरमीम का प्रतिवादी संख्या 01 नाजायज फायदा उठाते हुए वादी की कब्जा–शुदा भूमि में दखलदांजी करने पर उतारू है,जबकि वादी का वक्त खरीद से आदिनांक बदिशा उत्तर की की तरफ भूमि पर कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। इसके उपरांत भी रेकर्ड में गलत तरमीम किए जाने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही हैं। अंत में निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 460/326 रकबा 16.18 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 कोई दखलदांजी नहीं करे व न ही तारबंदी एवं चीणो को हटावे अथवा तोड़ फोड़ ही करे, इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। साथ ही वादग्रस्त भूमि की अवैध की गई तरमीम दिनांक 30.12.2020 को अपास्त की जाकर मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.11.2006 के अनुसार राजस्व लटठा ट्रेस नक्शा की तरमीम किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

8. प्रतिवादी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी की ओर से वाद–पत्र मनगढन्त तथ्यों के आधार पर लाया गया हैं, जो चलने योग्य नहीं हैं। प्रतिवादी का खातेदारी खसरा संख्या 461/326 रकबा 16.18 बीघा भूमि का बदिशा दक्षिण की तरफ नहीं होकर पश्चिम दिशा की तरफ अवस्थित है। प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार मिश्राराम पुत्र मांगाराम से जरिए रजिस्ट्री बेचान–पत्र दिनांक 28.10.1991 को खरीद की गई थी,वक्त खरीद से आदिनांक प्रतिवादी का कब्जा–काश्त बेचान–पत्र में दर्शित अनुसार आ रहा हैं। प्रतिवादी के उत्तर में खसरा संख्या 326/1 का रकबा हैं,दक्षिण में खसरा संख्या 323 का रकबा हैं,पूर्व में खसरा संख्या 326 का शेष रकबा हैं तथा पश्चिम में खसरा संख्या 324 का रकबा हैं। इस प्रकार बेचान–पत्र एवं मौका स्थिति से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी के खेत सीधे–सीधे अवस्थित हैं तथा खसरा संख्या 324 आबादी भूमि की तरफ प्रतिवादी का हक–हिस्सा हैं। वादी का यह कथन गलत है कि वादी के खेत की बदिशा दक्षिण की तरफ प्रतिवादी का कब्जा–काश्त हों। साथ ही यह कथन भी गलत हैं की प्रतिवादी द्वारा तारबंदी व चीणे तोड़ी हो। वादी के पुत्र कालुराम ने प्रतिवादी से रंजिश रखते हुए झूठा परिवाद पुलिस थाना बालोतरा में पेश कीया गया तथा अनुसधांन अधिकारी द्वारा वादी से मिलीभगत करते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध गलत आधार बनाते हुए चालान पेश किया गया हैं। वादी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

की ओर से तहसीलदार पचपदरा को तरमीम करवाने का कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया,बल्कि प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से विवादित आराजी की तरमीम किए जाने का प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.07.2006 को पेश किया गया था। जिसकी जांच हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक पचपदरा को दी गई। वादी द्वारा उक्त राजस्व कर्मचारीयों से मिली–भगत की गई तथा हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक पचपदरा द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को बिना सूचित किए एकपक्षीय मौका स्थिति के विपरीत मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जिसमें प्रतिवादी के फर्जी हस्ताक्षर भी कीए गए तथा कुटरचित मौका रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा को पेश की गई। प्रतिवादी मोहनदास को कुठरचित मौका रिपोर्ट का पता चलने पर एतराज तहसीलदार पचपदरा को पेश किया गया। इस कारण मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2006 के अनुसार तरमीम नहीं की गई। प्रतिवादी द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना–पत्र पेश किए जाने पर दुबारा जांच की गई। वादी व प्रतिवादी एवं मौजिज व्यक्तियों के समक्ष मौका जांच दिनांक 26.06.2008 को की गई तथा रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा को दिनांक 29.06.2008 को पेश की गई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर तरमीम किए जाने के सही आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश के आधार पर ही रेकर्ड में तरमीम की गई हैं। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता नहीं की गई हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेंजात एवं बयानात से भी साबित है कि प्रतिवादी का कब्जा–काश्त बदिशा पश्चिम खसरा संख्या 324 की तरफ सीधा–सीधा अवस्थित है तथा रिकॉर्ड में तरमीम भी माफिक बेचान–पत्र में दर्शित पडौसियों एवं मौका स्थिति के अनुरूप हो रखी है। वादी–प्रतिवादी से रंजिश रखा हैं। प्रतिवादी को परेशान करने की नियत से वाद लाया गया है। वर्तमान में विवादित भूमि की कीमते बढने के कारण वादी लालच में आकर प्रतिवादी की भूमि को हड़प करने की नियत से वाद पेश किया गया है। वादी का वाद मनगढन्त तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात, बयानात का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन से पूर्व हम यहां धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

188.अवैध बेदखली के विरूद्व निषेधाज्ञाः–(1)कोई आसामी जिसके भूमि क्षेत्र या भूमि क्षेत्र के भाग पर उसके अधिकार अथवा उपभोग पर भूधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

किया जाता है या आक्रमण किये जाने की धमकी दी जाती है,शाश्वत निषेधाज्ञा जारी की स्वीकृति के लिये दावा दायर कर सकता है।

(2) न्यायालय आवश्यक जांच करने के पश्चात निम्नलिखित अवस्थाओं मे शाश्वत निषेधाज्ञा जारी कर सकता है अर्थात–

(क) यदि आक्रमण से हुई वास्तविक क्षति या होने वाली सम्भावित क्षति का निश्चयन करने के लिये प्रमाण नही है,

(ख) यदि आक्रमण ऐसा है जिसके लिये आर्थिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त परितोष नही है,

(ग) जहां बहुत सम्भावना यह हो कि आक्रमण के लिये आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त नही हो सकती है,

(घ) जहां कार्यवाहियो के बाहुल्य को रोकने के लिए निषेधाज्ञा आवश्यक हो।

उक्त वर्णित धारा 188 के प्रावधान तथा इसके अन्तर्निहित आवश्यक तत्वों के दृष्टिगत प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:–

<u>तनकी संख्या 01</u>–आया वादी वाद–पत्र के पद संख्या 13(1) अनुसार प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री जारी करवाने के अधिकारीगण हैं ?

(जिम्मे–वादी)

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार वादी पर रखा गया है। वादी पक्ष की ओर से अपने वाद पत्र को साबित करवाने के लिए 03 गवाह की साक्ष्य करवाई गई तथा बयानात के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 से 23 प्रदर्शित करवाए गए हैं। वादी पक्ष की ओर से गवाह PW.01 भोपाराम, PW.02 मोडाराम, PW.03 कालूराम ने लिखित बयानात् स्वरूप शपथ–पत्र पेश किए गए थे तथा दौराने जिरह अपने–अपने बयानात् को दोहराया है कि वादी भोपाराम का कब्जा बदिशा उत्तर की तरफ हैं तथा प्रतिवादी का कब्जा बदिशा दक्षिण की तरफ होना बताया। प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से उक्त गवाहान् से लम्बी जिरह की गई तथा उक्त गवाहान् को उनके बयानात् से विचलित भी किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य विवादित आराजी को लेकर फौजदारी प्रकरण भी चल रहे हैं। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवालोकन करने पर पाया कि ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 460/326 रकबा 16.18 बीघा भूमि का वादी अभिलिखित खातेदार है,जो कि प्रदर्श 01 जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट हैं। इसी प्रकार इसी ग्राम की खसरा संख्या 461/326 रकबा 16.18 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 भी अभिलिखित खातेदार हैं,जो जमाबंदी प्रदर्श 02 अवलोकन से स्पष्ट है। हल्का पटवारी जानियाना द्वारा जारी मूल खसरा संख्या 326 की नक्शा नकल लट्ठा ट्रेस प्रति P.35 क्रमांक 3243/16.10.2008 जिसमें मूल खसरा एकल खाते में हैं अर्थात तरमीम नहीं हो रखी है,जो प्रदर्श–03 हैं। वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार मिश्राराम वल्द मांगाराम उर्फ मगाराम कौम दरोगा निवासी जानियाना की मूल खसरा संख्या 326 रकबा 33.16 बीघा भूमि अवस्थित थी। दिनांक 28.10.1991 को पृथक–पृथक

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बेचान–पत्र से वादी भोपाराम द्वारा रकबा 16.18 बीघा खरीद किया गया, जो प्रदर्श A1 है तथा प्रतिवादी मोहनदास द्वारा भी सम्मान रकबा 16.18 बीघा खरीद किया गया,जो प्रदर्श A7 हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी की भूमिया एक–दुसरे से लगती हुए हैं, कौन सी दिशाए में अवस्थित हैं, एवं तरमीम किस प्रकार से होनी चाहिए,यह बिन्दु हस्तगत प्रकरण से निर्णीत नहीं किया जा सकता है,क्योंकि हस्तगत प्रकरण धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश हो रखा है,जिसमें स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का प्रावधान हैं। इस प्रकार न्यायालय हाजा को यह तय करना है की क्या वादी, प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार हैं। जो कि पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड,दस्तावेजात एवं वादी पक्ष के बयानात् से साबित होता है,कि दोनो पक्ष के मध्य वादग्रस्त आराजी को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा हैं तथा वादग्रस्त आराजी को लेकर फौजदारी प्रकरण भी हो रखे हैं। वादी वादग्रस्त आराजी का आवगी खातेदार है। वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर सकता है,जो की वादी पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य एवं बयानात् से साबित किया हैं। इस प्रकार पक्षकारान् को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता हैं,तो भविष्य में मौका स्थिति को लेकर आगे ओर विवाद बढने की संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त हम यहां सुसंगत विधिक न्यायिक द्वष्टांत का उद्वधरण देना भी उचित समझते हैः यथा–

<u>184 आर.आर.डी. पृष्ठ 588 नूर खान बनाम मकबूल वगैरा</u> में प्रतिपादित है कि यदि किसी खातेदार काश्तकार की भूमि के उपयोग एवं अधिकारो के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति आपति अथवा अतिक्रमण या धमकी देता है या दिये जाने की संभावना है,तो ऐसे व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से उक्त प्रकार के अनुचित कार्य के लिये पाबंद किया जा सकता है।

उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण की प्रवृति पर चस्पा होता है,क्योकि यह भली भांति साबित हो गया है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी द्वारा दंखलदान्जी की जाती रही है,जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्य सबूतो से प्रमाणित हो चुका है। इस प्रकार प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित है। उपरोक्त विवेचन तथा उक्त न्यायिक द्वष्टांत व हस्तगत प्रकरण की धारा के अध्यारोही प्रभाव के आलोक में न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं,कि तनकी संख्या 01 वादी साबित करने में सफल रहने के कारण उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2 व 3:–</u> सुविधा की दृष्टि एवं तथ्यों के दोहराव से बचने के लिए दोनो तनकीयात का विनिश्चिय एक साथ किया जा रहा है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

<u>तनकी संख्या 2</u>. आया वादी वाद–पत्र के पद संख्या 13(2) अनुसार विवादित भूमि में 13.10.2008 स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के खिलाफ जारी करवाने का अधिकारी हैं ?

(जिम्मे–वादी)

<u>तनकी संख्या 03</u> :–आया वादी वाद–पत्र के पद संख्या 13(3) अनुसार प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हैं ?

(जिम्मे–वादी)

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार वादी पर रखा गया है। वादी पक्ष की ओर से बयानात एवं प्रदर्शित दस्तावेजात एवं सम्पूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन करने पर पाया की वादी प्रदर्श 05–फर्द मौका दिनांक 10.11.2006 के अनुरूप तरमीम करवाने का अनुतोष चाहा गया तथा प्रदर्श 16–फर्द मौका दिनांक 26.06.2008 के अनुरूप तरमीम नहीं करने का अनुतोष चाहा गया है,इसके विपरीत प्रतिवादी मोहनदास प्रदर्श A2 –के अनुरूप विवादित भूमि की तरमीम किए जाने का अनुतोष चाहा गया है,जबकि हस्तगत प्रकरण में उद्वेरित धारा 188 के तहत तरमीम दुरूस्ती किए जाने के प्रावधान निहित नहीं है। तरमीम दुरूस्त करवाने के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 की धारा 131,136 के प्रावधान निहित है:–

131.नक्शा ओर क्षेत्र पुस्तक को चालू रखना–सर्वेक्षण और अभिलेख कार्य समाप्त होने के पश्चात नक्शा और क्षेत्र पुस्तक राज्य सरकार द्वारा उस निमित बनाये गए नियमो के अनुसार भू अभिलेख अधिकारी द्वारा चालू रखी जायेगी तथा प्रतिवर्ष या ऐसे लंबे अन्तराल पूरे जो राज्य सरकार विहित करे,प्रत्येक गांव या सम्पदा,खेत की सीमाओ मे हुए सब परिवर्तन अभिलिखित कराएगा तथा ऐसी किन्ही गलतियो का सुधार करेगा,जो नक्शे या पुस्तक मे की गई प्रतीत हो।

136.गलतियो का शुद्विकरण:–भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय,किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियो को विहिप रिति से शुद्व कर सकेगा या उन्हें शुद्व करवा सकेगा जिनका अधिकार–अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्व पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे:

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरा किसी भी अधिकार अभिलेख मे किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्व नही की जायेगी जब तक कि पक्षकारो को हैतुक दर्शित करने का नोटिस नही दे दिया गया हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

इस प्रकार उक्त निहित प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान उक्त प्रावधानों के तहत ही तरमीम शुद्धि करवाने के लिए आवेदन पत्र पेश कर सकते हैं। विषयक प्रकरण धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर रखा हैं,जिसे वादी साबित करने में सफल रहा है। इस कारण तनकी संख्या 01 वादी अपने पक्ष में साबित कर चूका हैं। वादग्रस्त आराजी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.11.2006 व दिनांक 26.06.2008 को तहसीलदार पचपदरा के आदेश पर हुई थी तथा न्यायालय हाजा स्तर से भी उप तहसीलदार जसोल एव नायब तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी।

न्यायालय हाजा यहां स्पष्ट करता है कि विषयक प्रकरण का निस्तारण वाद–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं बयानात् के आधार पर किया जा रहा हैं। मौका जांच रिपोर्ट का न्यायालय हाजा किसी प्रकार से विचार अथवा मनन् नहीं कर रहा है,क्योंकि पक्षकारान् का उतरदायित्व बनता है कि अपना–अपना पक्ष साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित करें तथा न्यायालय हाजा के लिए दोनो पक्ष एक समान् होते हैं। इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली के संलग्न मौका रिपोर्ट का अध्ययन नही किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5699/2024 मोहनदास बनाम भोपाराम वगैरा प्रकरण में आदेश दिनांक 04.04.2024 के द्वारा 07.02.2024 (अनुलग्नक–3) का प्रभाव व प्रवर्त स्थगन जारी किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 460/326 व 461/326 की सीमाओं एवं तरमीम को लेकर विवाद हैं। जब भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद निहित हों,तो भूमिधारी तहसीलदार विवाद के बिन्दु निहित में तरमीम करने के लिए सक्षम नहीं होता हैं,ऐसे प्रकरण भू–अभिलेख अधिकारी के सक्षम पेश होने चाहिए। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा का मत है कि वादग्रस्त आराजी की तरमीम मौका–रिपोर्ट दिनांक 10.11.2006 व 13.10.2008 के अनुरूप नहीं करनी चाहिए,पक्षकारान को तरमीम संबंधी विवाद हैं,तो सक्षम भू–अभिलेख अधिकारी के सक्षम धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवेदन कर सकते हैं।

समग्र विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है की उक्त तनकी को वादी आंशिक रूप से स्वीकार करने में सफल रहने के कारण आंशिक तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 4</u>–आया वादी वाद–पत्र के पद संख्या 13(4) अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के खिलाफ डिक्री जारी करवाने का अधिकारी हैं ?

(जिम्मे–वादी)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

इस विवादयक बिंदु को साबित करने का भार वादी पर रखा गया है। वादी की ओर से वादगस्त भूमि के संबंध में वाद-अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 के तहत पेश किया गया था। साथ ही राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया, जो मुकदमा संख्या 163/2008 अनवान भोपाराम बनाम मोहनदास वगैरा दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई दिनांक 20.10.2008 को विवादित भूमि पर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित हुए तथा उभय पक्षकारान की बाद सुनवाई आदेश दिनांक 27.01.2009 के द्वारा स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया गया,जो कि पत्रावली संख्या 163/2008 अवलोकन से स्पष्ट हैं। इस प्रकार यह भली भांति स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित होने के कारण रेकर्ड स्थिति में फेरबदल नहीं होना चाहिए था। हल्का पटवारी द्वारा जारी नकल नक्शा प्रति P.35 क्रमांक 3243/16.10.2008 में वादग्रस्त आराजी एकल है,जो की प्रदर्श 03 अवलोकन से स्पष्ट है,लेकिन हल्का पटवारी सराणा द्वारा जारी नकल नक्शा प्रति P.35 क्रमांक 7320/30.12.2020 के द्वारा जारी नकल नक्शा प्रति में तरमीम हो रखी हैं। इस प्रकार यह भली भांति साबित है कि विवादित आराजी की तरमीम दौराने विचारण वाद की गई हैं,जो कि स्थगन आदेश पारित होने के उपरांत की गई,जो वैधानिक रूप से गलत की गई हैं। ऐसी तरमीम को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है,क्योंकि विवादित आराजी की तरमीम विधि में निहित प्रावधानों के विपरीत की गई हैं। इस कारण आलोच्य तरमीम अपास्त योग्य है,जो की वादी साबित करने में सफल रहा हैं,लेकिन वादी इस्तदुआ संख्या 03 के अनुरूप तरमीम करवाने का हकदार नहीं हैं,क्योंकि तरमीम करवाने का अनुतोष हस्तगत प्रकरण के तहत वादी प्राप्त नहीं कर सकता हैं। इसलिए धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने के लिए पक्षकार स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादी उक्त तनकी को आंशिक रूप से स्वीकार करवाने में सफल रहने के कारण उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 6</u>–आया वादगस्त भूमि की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.11.2006 के अनुरूप तरमीम नहीं की जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2008 के अनुरूप तरमीम करवाने के हकदार हैं तथा वादी का वाद गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज करवाने के प्रतिवादी हकदार है ?

(जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 01)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

इस विवादयक बिंदू को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर रखा गया है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा साक्ष्य गवाहान् में DW.01 से DW.03 के बयानात कलमबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श A1 से A12 प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी मोहनदास एवं उसके समर्थन में स्वंतत्र गवाह DW.02 व Dw.03 ने अपने–अपने बयानात् में बताया कि प्रतिवादी संख्या 01 मोहनदास का कब्जा वादी की भूमि के बदिशा दक्षिण दिशा में नहीं होकर खसरा संख्या 324 आबादी भूमि के लगते सीधा–सीधा कब्जा बदिशा पश्चिम की तरफ हैं। वादी अधिवक्ता द्वारा उक्त गवाहान से जिरह की गई,तो अपने बयानात् पर पूरी तरह कायम नहीं रह सकें। प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी की तरमीम मौका फर्द दिनांक 26.06.2008 के अनुरूप होना सही बताया हैं। जबकि हस्तगत प्रकरण तरमीम का नहीं होकर स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अनुतोष का हैं। जो पक्षकारान् को साबित करना है कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो सकती हैं अथवा नहीं। लेकिन पक्षकार वादग्रस्त आराजी की तरमीम को लेकर अपना–अपना पक्ष रखा है। न्यायालय हाजा का मत है कि विषयक प्रकरण धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत हो रखा है। जिसमें न्यायालय हाजा को केवलमात्र स्थाई निषेधाज्ञा प्रावधानों मे निहित कानून को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना हैं,न की तरमीम सही व गलत को मध्यनजर रखते हुए,क्योंकि तरमीम बाबत् प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में निहित नहीं होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 में निहित हैं,जिसके तहत पक्षकार पृथक से चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। हस्तगत प्रकरण अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि खसरा संख्या 460/361 व 461/361 सेढा–सेढ हैं तथा दोनो पक्षो के मध्य विवाद लम्बे समय से चल रहा हैं। पक्षकारान् के बीच फौजदारी मामले भी चल रहे हैं। इस कारण पक्षकार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित प्रतीत होता है। न्यायालय हाजा यह पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि वादग्रस्त आराजी की तरमीम दौराने दावा हुए हैं,जबकि स्थगन आदेश प्रभावी था। इस कारण वादग्रस्त आराजी की दौराने दावा तरमीम यथावत रखी नहीं जा सकती हैं। प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रदर्श दस्तावेजात सरकारी दस्तावेज हैं, जो कि स्थाई निषेधाज्ञा रूकवाने में सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के उपरांत उक्त तनकी प्रतिवादी अपने हक में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध निर्णीत की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या 6</u>– अन्य दादरसी ?

उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि पक्षकार इस्तदुआ से अतिरिक्त परिलाभ प्राप्त करना साबित नहीं कर पाए है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

10. अनुतोषः–उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी वाद–पत्र में कायम तनकी संख्या 01 से 4 साबित करने में बखूखी सफल रहा है तथा प्रतिवादी पक्ष अपने पक्ष में कायम तनकीयात को साबित करने में सफल नहीं हो पाया है। वादी के वाद–पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद,वादी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 460/326 व खसरा संख्या 461/326 में दौराने विचारण वाद की गई विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर लटठा नक्शा में पूर्व की स्थिति को बहाल किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 460/326 व 461/326 में एक दुसरे की खातेदारी में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे। साथ ही तरमीम दुरूस्ती बाबत उभयपक्ष सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 11/07/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर 11/07/2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 218/2008
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2008/00049

वादी	बनाम	प्रतिवादी
भोपाराम पुत्र वागाराम जाति रबारी निवासी जानियाना तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.मोहनदास पुत्र गोपालदास जाति संत निवासी जानियाना हाल समदड़ी रोड़ बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 3.उप तहसीलदार जसोल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 218/2008
निर्णय दिनांक :–11.07.2025

वादी की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 11.7.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 460/326 व खसरा संख्या 461/326 में दौराने विचारण वाद की गई विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर लटठा नक्शा में पूर्व की स्थिति को बहाल किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 460/326 व 461/326 में एक दुसरे की खातेदारी में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे। साथ ही तरमीम दुरूस्ती बाबत उभयपक्ष सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

यह आज तारीख 11.7.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
11/07/2025

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	---	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	------
जोड़	---	जोड़	------

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

11/07/2019

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा